कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर,जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

विज्ञापन

कमांक – क/दो–11–1/2021 दिनांक :– 26.07.2022

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.08.2022 संध्या 5:00 बजे तक

कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर–चांपा (छ0ग0) की स्थापना में स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड–03 (टायपिस्ट,सेल अमीन,आदेशिका लेखक) वाहन चालक, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि मद के कर्मचारी (वाटरमेन, स्वीपर, चौकीदार) के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों से दिनांक 25.08.2022 संध्या 5.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

क.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	पदों के आरक्षण का विवरण															
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मु.	म.	वि.	भू. पू. सै.	मु.	म.	वि.	भू. पू. सै.	मु.	म.	वि.	भू. पू. सै.	मु.	म.	वि.	भू. पू. सै.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	हिन्दी स्टेनोग्राफर	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	टायपिस्ट/सेल अमीन/ आदेशिका लेखक (सहायक ग्रेड–3 संवर्ग)	04	–	–	–	–	02	–	–	–	01	–	–	–	01	–	–	–
3	वाहन चालक	02	01	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	भृत्य	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–
5	आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, स्वीपर, चौकीदार)	03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	03	–	–	–

महत्वपूर्ण टीपः–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जाएंगें।
3. सा.प्र.वि.क.एफ 3–1/2016/1–3/दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू है।

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते

1– **हिन्दी स्टेनोग्राफर हेतु–**

(क) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–07 (रू –28700–91300)

(ख) **शैक्षणिक योग्यता –**

1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

2) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये

3) अभ्यर्थी को कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की–डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घंटा होनी चाहिये (गति के सबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)।

4) अभ्यर्थी को डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) , एम.एस. वर्ड तथा इंटनेट का न्यूनतम कम्प्युटर ज्ञान होना चाहिये।

नोट :– अंग्रेजी शीघ्रलेखन /मुद्रलेखन के जानकार अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

2– **सहायक ग्रेड–3(टायपिस्ट,सेल अमीन,आदेशिका लेखक) के पद के हेतु–**

(क) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–04 (रू – 19500–62000)

(ख) **शैक्षणिक योग्यता –**

1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

2) अभ्यर्थी को कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की–डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घंटा होनी चाहिये (गति के सबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)।

3) अभ्यर्थी को डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.), एम.एस. वर्ड तथा इंटनेट का न्यूनतम कम्प्युटर ज्ञान होना चाहिये।

नोट :– अग्रेजी मुद्रलेखन के जानकार को वरीयता दी जावेगी।

3– वाहन चालक के पद के हेतु–

(क) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–04 (रू – 19500–62000)

(ख) शैक्षणिक योग्यता –

1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवीं) प्रमाणपत्र की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2) हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्तिधारी(लायसेंस)हों।

नोट :– अनुभवी वाहन चालक को वैध अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर वरीयता दी जावेगी।

4– भृत्य के पद हेतु –

(क) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–01 (रू – 15600–49400)

(ख) शैक्षणिक योग्यता –

1) कक्षा 5 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2) सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से सबंधित कार्य में अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे– ड्राईवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी मेकेनिक,बढ़ई इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

5– आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (वाटरमेन/स्वीपर/चौकीदार) के पद हेतु –

(क) शैक्षणिक योग्यता –

1) कक्षा 5 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2) सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से सबंधित कार्य में अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे– ड्राईवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एसी मेकेनिक,बढ़ई इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

—: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :—

(1) रोजगार कार्यालय में अभ्यार्थियों का जीवित पंजीयन होना चाहिये (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी।)

(2) (1) कोई भी उम्मीदवार जिसने न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(3) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/ मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी (छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा मे राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेंगीं तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते है, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) **उच्चतर आयु सीमा में छूट:–**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा मे निम्नानुसार छूट रहेंगी :–

4 (अ) (1) – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

4 (अ) (2) – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ. प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमीलयेर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।

<u>4 (अ) (3)</u> – छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिनजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 शासन के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 साल होगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

<u>4 (अ) (4)</u> – ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी/सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

<u>स्पष्टीकरण</u> – छंटनी किए गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में, लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक से 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा से मुक्त किया गया है।

<u>4 (अ) (5)</u> – ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>4 (अ) (6)</u> – ऐसे महिलाओं के आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि, उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।

<u>4 (अ) (7)</u> –सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/2002 /1/3/ दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी। जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व में ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विधवा परित्यकता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होगें।

<u>4 (अ) (8)</u> – स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकत आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुये दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

4 (अ) (9) – विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावेगी परंतु किसी भी स्थिति में छूट की सीमा को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (ब) (1) – आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी/3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4 (ब) (2) – विक्रम पुरस्कार, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीणचन्द्र भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–19–2/2005/1–3 दिनांक 01–12–2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 की छूट दी जावेगी।

4 (ब) (3) – उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–6–10/2004/1–09 दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप (1) – बिन्दु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

टीप (2) – बिन्दु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण – यदि कोई अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ वर्ग के लिये अधिकतम आय सीमा में निर्धारित 05 की छूट और दी जायेगी, अतंरजातीय विवाह के लिये निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

(5) यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुये दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

(6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते है, अतः आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हताओं की सामान्य शर्तो को पूरा करने पर पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात् जांच में किसी भी समय अनर्हत पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

(7) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगें उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

(8) आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय जांजगीर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/janjgir पर अपलोड किया जावेगा तथा अपात्र अभ्यर्थियों को उनके अपात्रता के सबंध में सूचना भी वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा। अभ्यार्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय जांजगीर की वेबसाईट में अपलोड की जावेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जिला न्यायालय जांजगीर चांपा की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/janjgir पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। **(अभ्यर्थियों को उक्त वेबसाईट का सतत अवलोकन करते रहने की सलाह दी जाती है।)**

(9) दावा /आपत्ति के निराकण पश्चात् अभ्यर्थियों को रोल नम्बर आबंटित किया जावेगा।आबंटित रोल नम्बर,नाम, पिता/पति, का नाम एवं पता सहित सूची ,लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा की तिथि,समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ0ग0) की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/janjgir पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किये जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जावेगी। कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर–चांपा के सूचना पटल पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी तथा लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचना डाक के द्वारा भी दी जायेगी। उम्मीदवार वेबसाईट से अपना रोलनम्बर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटाई (Short listing) की प्रक्रिया एवं मापदंड भर्ती कमेटी/चयन समिति द्वारा किया जावेगा,जो अंतिम होगा।

(10) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसके लिये कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और उक्त वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

(11) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

(12) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(13) अभ्यर्थी आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें।

(14) अभ्यर्थियों को एक से अधिक पद के लिये आवेदन हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।

(15) अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में साथ स्वयं का पता लिखा एवं यथोचित डाक टिकिट लगा हुआ दो नग लिफाफा संलग्न करना होगा।

(16) लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा के लिय अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(17) लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को पृथक से प्रवेश पत्र/ बुलावा पत्र डाक के द्वारा भेजा जावेगा। एवं जिला न्यायालय के वेबसाईट पर भी अपलोड किया जावेगा। लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि,समय एवं स्थान पर पहचान पत्र (ड्राईविंग लायसेंस/ वोटर आई. डी/आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ स्मार्ट कार्ड) सबंधी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहना होगा।

(18) परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन या अन्य संचार यंत्र वर्जित रहेंगें ।

(19) लिखित/कौशल परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं होगा।

—: आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ए 4 साईज के पेपर में पूर्णतया कम्प्यूटर प्रिंट या टंकित किए हुए ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **25.08.2022 को शाम 5:00 बजे तक** बंद लिफाफा में जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम** लिखा हो, स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

(2) आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र(शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), विकलांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई–स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा ।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) कार्यानुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में कार्यानुभव हेतु अंक प्रदान नहीं किए जायेंगे ।

(6) आवेदन पत्र में चस्पा फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए तथा साथ ही एक बिना प्रमाणित स्वयं का पासपोर्ट साइंज को फोटो संलग्न करना अनिवार्य हैं। फोटो के पीछे स्वयं का नाम पिता का नाम एवं जन्म तिथि का उल्लेख किया जाना अनिवार्य हैं।

(7) आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा एवं 5 रू0 का डाक टिकट चस्पा किया हुआ 02 नग <u>खुला लिफाफा</u> आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थी को सूचना नहीं प्राप्त होने पर जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी ।

(8) विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय जांजगीर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/janjgir लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(9) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा परीक्षा के संबंध में जानकारी परीक्षा तिथि के पूर्व जिला न्यायालय जांजगीर के https://districts.ecourts.gov.in/janjgir पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(10) जिन पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि तक परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व या परीक्षा समय के दो

घंटे पहले तक अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण/पावती तथा वेबसाईट से नाम एवं रोल नम्बर प्रिंट प्रति सहित सहित कार्यालय में उपस्थित होने पर परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी सही पायी गयी तो डूप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।

—: नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :—

(1) स्टेनोग्राफर हिन्दी :–

(अ) प्रथम चरण लिखित परीक्षा (अभ्यार्थियों की सख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा ली जावेगी।)

जो सामान्य ज्ञान, कम्प्युटर, इंटरनेट,छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 50 अंक की लिखित परीक्षा अयोजित की जावेगी। प्रत्येक प्रश्न पर 01 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा की अवधि 01 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को अर्ह किया जावेगा एवं कौशल परीक्षा के लिय आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियो को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(ब) प्रायोगिक /कौशल परीक्षा (कम्प्युटर)

उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे 50 मिनट की निर्धारित समय में शुद्धता से कम्प्युटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड,पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबन्टू लाईनेक्स आपरेटिंग सिस्टम में ली जावेगी।

(2) सहायक ग्रेड तीन (टायपिस्ट/सेल अमीन/आदेशिक लेखक) :–

(अ) प्रथम चरण लिखित परीक्षा (अभ्यार्थियों की सख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा ली जावेगी।)

जो सामान्य ज्ञान, कम्प्युटर, इंटरनेट,छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 50 अंक की लिखित परीक्षा अयोजित की जावेगी। प्रत्येक प्रश्न पर 01 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा की अवधि 01 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को अर्ह किया जावेगा एवं कौशल परीक्षा के लिय आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियो को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(ब) प्रायोगिक /कौशल परीक्षा (कम्प्युटर)

उम्मीदवारों को 250 शब्द के हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा मे शुद्धता से कम्प्युटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड,पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबन्टू लाईनेक्स आपरेटिंग सिस्टम में ली जावेगी।

(3) वाहन चालक :–

(अ) कौशल परीक्षा

वाहन चालक के पद हेतु आठवीं कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के आधार पर 15 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा। उक्त कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता एवं वाहन चालन के संबध में परीक्षण लिया जायेगा। प्रायोगिक/ कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी।

(4) भृत्य :–

(अ) हुनर/दक्षता/कौशल परीक्षा

(1) भृत्य के पद हेतु पांचवी कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को हुनर/ दक्षता/ कौशल परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा। जिसमें अभ्यार्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता/ हुनर/दक्षता/ इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

(5) आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (वाटर मेन/स्वीपर/ चौकीदार हेतु :–

(अ) हुनर/दक्षता/कौशल परीक्षा

आकस्मिक निधि मद के पद हेतु पांचवी कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के आधार पर 15 गुना उम्मीदवारों को हुनर/ दक्षता/ कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा। जिसमें अभ्यर्थियों के हुनर/ दक्षता/ कौशल परीक्षा ली जावेगी तथा उनके शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता/ हुनर/दक्षता/ इत्यादि बिन्दुओं पर उन्हे परखा जाएगा। हुनर/दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

—: अन्य शर्तें (अ):—

(1) स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–3 के पद पर चयन हेतु केवल कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार करते हुये चयन सूची तैयार की जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार किया जायेगा।

(2) वाहन चालक एवं भृत्य के पद हेतु प्रायोगिक (हुनर/दक्षता/कौशल) परीक्षा में प्राप्त अंकों को मिलाकर उसके आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार करते हुये चयन सूची तैयार की जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार किया जायेगा।

(3) प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

(4) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर आवेदित पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र में सर्वाधिक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

(5) चयनित उम्मीदवारों को 03 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जायेगा, जिसमें उन्हे स्टायपेंड प्राप्त होगा जो इस प्रकार है ::–

प्रथम वर्ष में – **उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत।**
द्वितीय वर्ष में – **उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत।**
तृतीय वर्ष में – **उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत।**

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत् अन्य कर्मचारियों की तरह प्राप्त होंगें। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत किया जावेगा।

—: अन्य शर्तें (ब):—

1. प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से यह विज्ञापन परीक्षा के किसी भी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये कभी भी निरस्त/स्थगित की जा सकेगी।

2. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

3. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।

4. अनुशासन एवं नियत्रंण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अध्यधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियत्रंण में कार्य करेंगे।

5. यहाँ नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई नियुक्ति हैं अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती हैं।

6. चयनित उम्मीदवार का पुलिस सत्यापन कराये जाने पर चरित्र सही नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

7. जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।

8. चयनित कर्मचारी की सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्त अधिकारी को या नियुक्त अधिकारी द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

9. चयन प्रक्रिया के संबंध में माननीय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर–चांपा का निष्कर्ष अंतिम होगा।

10. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेंगी।

11. अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

12. दिव्यांग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम प्राधिकारी) चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13. आवेदन करते की तिथि मे समस्त आवश्यक प्रमाणपत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

14. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर
जिला–जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

अनुमोदित
न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

आवेदन का प्रारूप

अभ्यर्थी स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें।

(स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड –तीन,वाहन चालक, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि मद के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र)

प्रति,

न्यायधीश
कुटुम्ब न्यायालय
जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

1– आवेदित पद का नाम ....

2– अभ्यर्थी का पूरा नाम ....

3– अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) ....

4– अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम ....

5– वर्ग (अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0/सामान्य)..............................

6– अभ्यर्थी का वर्तमान पत्र व्यवहार का पता ....
....
....

7– अभ्यर्थी का स्थायी पता ....
....
....

8– जन्मतिथि (अंकों में) ....
(दिनांक 01–01–2022 को आयु) दिन.................माह......................वर्ष..........................

9– लिंग (पुरुष/महिला). ....

10– राष्ट्रीयता ....

11– क्या अभ्यर्थी छत्तीसढ़ का मूल निवासी है (हॉ/नही) ....

12– रोजगार कार्यालय का नाम एवं ....
पंजीयन क्रमांक व दिनांक ....

13– क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं (हॉ/नहीं)..............................

14– क्या आप विकलांग हैं (हॉ/नही) ....
विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत ....

15— यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि ....

16— जीवित संतानों की संख्या ....

17— शैक्षणिक एवं तकनीकी आर्हता—

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी	बोर्ड /वि.वि. का नाम
1						
2						
3						
4						
5						
6						

18 कार्यानुभव का विवरण

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष
1				
2				

19— क्या वर्तमान में किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है (हॉं/नहीं), (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

20— अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो या किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण ....

21— आवेदन के साथ संलग्न सत्यापित दस्तावेज का विवरण —

1—   2—

3—   4—

5—   6—

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूॅं कि मैने विज्ञापित पदों की पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ा है, इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण एवं संलग्न सभी दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है । मेरे द्वारा दी गयी जानकारी असत्य/अपूर्ण पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

स्थान—
दिनांक—

अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर
(अभ्यर्थी का पूर्ण नाम पता एवं मोबाईल नम्बर सहित)

कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

—:लिखित परीक्षा /कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र :—
(प्रवेश पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें)

अभ्यर्थी का स्वप्रमाणित फोटो

रोल नंबर :—

परीक्षा केन्द्र /स्थान :—

परीक्षा का दिनांक / / समय :—
(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

अभ्यर्थी बाक्स मे हस्ताक्षर करे

(अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने वाली जानकारी)

आवेदित पद का नाम :— ....

अभ्यर्थी का नाम :— ....

पिता का नाम :— ....

पता — :— ....

:— ....

प्रवेशपत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1– परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।
2– परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
3– परीक्षा में केवल काले या नीले पेन का उपयोग करें।
4– परीक्षा के दौरान वीक्षक/चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
5– परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रपत्र पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित किए जाने पर परीक्षार्थी का उत्तर पुस्तिका की जॉच नहीं की जायेगी।
6– परीक्षा में किसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाईल इत्यादि रखना वर्जित है।